न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़
पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 47/अपील/22 तारीख दायरा 14.12.2022

उनवान अपील

दुलाजी वल्द चतरा जी जाति मेघवाल निवासी जाजनी
तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ (अपीलार्थी)

बनाम

बापूलाल वल्द पूराजी जाति मेघवाल निवासी जाजनी
तहसील पचपहाड जिला झालावाड (रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पचपहाड़ दिनांक 17.05.2022
प्रकरण संख्या 06/प्रार्थना पत्र/2021 में पारित किया गया निर्णय

अनुपस्थितः– श्री राम माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलान्ट

–: निर्णय :– दिनांकः 07.02.2024

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार पचपहाड़ के निर्णय दिनांक 17.05.2022 जो मिसल न0 06/प्रार्थना पत्र/2021 में पारित किया जाकर ग्राम जाजनी तहसील पचपहाड़ की आराजी ख0न0 954/3 रकबा 0.7587 हैक्टेयर किस्म बारानी के सम्बंध में पेश की है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पूर्व में प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर0टी0एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी द्वारा अवैद्य अतिक्रमण कर रखा है। इस कारण उसे बेदखल कर कब्जा प्रत्यर्थी को सम्भलाया जावे। जिस पर अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश किया कि खसरा नं0 954/3 की आराजी उसके पिता चतरा वल्द भुवान के नाम अलॉट होना दर्ज करते हुए अप्रार्थी का काबिज होना अंकन किया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर से अपीलार्थी को खसरा न0 954/3 की 0.0882 हेक्टेयर भूमि पर अतिकमी मानकर बेदखल करने के आदेश पारित किये है से व्यथित होकर यह अपील पेश की है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। वकील अपीलार्थी अनुपस्थित है वकील अपीलार्थी को समय रहते तीन बार आवाज दिलवाई गई बावजूद आवाज के भी अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहें है उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित है। प्रकरण से संवधित पत्रावली तहसीलदार पचपहाड़ से तलब की गई तथा प्रकरण को वरीयता अनुसार निर्णित किये जाने हेतु रखा गया।

जिला कलक्टर
झालावाड़

विचाराधीन अपील अपीलार्थी एवं अपील से संबंधित पत्रावली तहसीलदार पचपहाड़ प्रकरण संख्या 6/21 अन्तर्गत धारा 183 बी आर टी एक्ट निर्णय दिनांक 17.05.2022 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा पारित निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आराजी पर कोई भी व्यक्ति अतिकमी हो सकता है जिसके तहत अपीलार्थी को अतिकमी मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.05.2022 में वेदखल किया गया है जो विधिसम्मत प्रतीत होता है। अपीलार्थी की अपील खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा पारित निर्णय न्योचित होने से यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार पचपहाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़